न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-35/2019/भीलवाड़ा (2019/00035)

1. श्रीमती कुशल देवी पत्नी रामकिशन
2. महेश चन्द्र पुत्र रामकिशन
3. प्रकाशचंद पुत्र रामकिशन
4. श्रीमती प्रेमलता पुत्र रामकिशन

समस्त जाति महाजन, निवासी वार्ड नं0 10, गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. घनश्याम लाल पुत्र रामनिवास, जाति गहलोत, निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. नगर पालिका गंगापुर, जरिये प्रशासक, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 9.5.2011 अंतर्गत अपील संख्या 5/2011.

उपस्थितः-

1. श्री अजीतसिंह राठौड एवं श्री हेमसिंह राठौड, वकील अपीलांटस ।
2. श्री लेखू मंघानी,रेस्पो0 संख्या 1
3. रेस्पो0 सं0 3 अनुपस्थित
4. श्री वी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :- 11.12.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 (संक्षेप में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस की पुस्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 1374/2 रकबा 1-15-0 बीघा जिसके वर्तमान ख0नं0 1904 रकबा 3.30 है0 तथा 1372/2 रकबा 0-2-0 बीघा जिसके हाल ख0नं0 1899 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 ग्राम गंगापुर तहसील सहाडा में अवस्थित है। जो जमाबंदी (खेवट खतौनी) सम्वत 2010 से लगायत 2013 के अनुसार पंचान बादरगंज व मुकनगंज बएतमाम मुखिया मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेवराम व भुवानीराम वल्द रामरतन कौम महाजन कॉलम सं0 4 अर्थात जागीरदार के कॉलम में अंकित है तथा कृषक के कॉलम में मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेवराम कौम महाजन अंकित है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 अर्थात संवत 2012 को प्रभाव में आने के समय मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेव काबिज काश्त होने से विवादित आराजीयात के खातेदारी/काश्तकारी स्वत्व इनमें निहित हो गए। मोहनलाल पुत्र बलदेव का स्वर्गवास होने पर उनने वारिसान नहीं होने से नाम तर्क किया गया। इस प्रकार भवानीराम पुत्र रामरतन का स्वर्गवास होने पर जरिये नामा0सं0 439 दिनांक 27.09.1971 को तस्दीक किया जाकर नाम तर्क कर दिया गया। जागीरदार उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आने के साथ ही संवत 2010 में मोहनलाल व रामकुवांर पुत्रान बलदेवराम वहैसियत कृषक काबिज होने से जागीर रिज्यूम होकर उक्त कृषक में विधि प्रभाव में खातेदारी अधिकार निहित हो गए। तत्पश्चात रामकुवांर का स्वर्गवास होने पर जरिये नामा0सं0 201 दिनांक 01.06.1993 को उसकी विरासत रामकिशन पुत्र रामकुवांर के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 द्वारा प्रथम अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश किये जाने पर विद्वान जिला अति0 कलक्टर, भीलवाड़ा ने दिनांक 29.08.2019 द्वारा रेस्पो0सं0 1 की अपील स्वीकार कर नामा0सं0 201 दिनांक 01.06.1993 को अपास्त कर तहसीलदार, सहाडा को प्रतिप्रेषित कर भूमि विलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर, भूमि कब्जे सरकार लेवे आदेश पारित किया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक वहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने इस वात पर गौर नहीं किया कि अपीलांटस की पुस्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 1374/2 रकवा 1-15-0 वीघा जिसके वर्तमान ख0नं0 1904 रकवा 3.30 है0 तथा 1372/2 रकवा 0-2-0

Scanned by CamScanner

बीघा जिसके हाल ख0नं0 1899 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 ग्राम गंगापुर तहसील सहाडा में अवस्थित है। जो जमाबंदी (खेवट खतौनी) सम्वत 2010 से लगायत 2013 के अनुसार पंचान बादरगंज व मुकनगंज बएतमाम मुखिया मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेवराम व भुवानीराम वल्द रामरतन कौम महाजन कॉलम सं0 4 अर्थात जागीरदार के कॉलम में **मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेवराम कौम महाजन अंकित है, जिसे** दिनांक 09.02.1942 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर अपीलांटस जागीरदार बने। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव आने के समय मोहनलाल व रामकुवांर पिसरान बलदेव काबिज काश्त होने के कारण नगर पालिका, गंगापुर के समक्ष उक्त आराजीयात पर रामकुवांर पत्र बलदेवराम लोहिया द्वारा जीनिंग फैक्ट्री की स्वीकृति चाहने पर रेगूलेशन सं0 2 दिनांक 16.08.1959 को स्वीकृति प्रदान की जाकर दिनांक 15.09.1959 को अधिकार पत्र (पट्टा) जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि पर फैक्ट्री स्थापित कर दी गई, जो वर्तमान में भी यथावत अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नहीं रही है इस कारण अधी0न्याया0 (अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा) को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। मोहनलाल पुत्र बलदेव का स्वर्गवास होने पर उनने वारिसान नहीं होने से नाम तर्क किया गया। इस प्रकार भवानीराम पुत्र रामरतन का स्वर्गवास होने पर जरिये नामा0सं0 439 दिनांक 27.09.1971 को तस्दीक किया जाकर नाम तर्क कर दिया गया। जागीरदार उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आने के साथ ही संवत 2010 में मोहनलाल व रामकुवांर पुत्रान बलदेवराम बहैसियत कृषक काबिज होने से जागीर रिज्यूम होकर उक्त कृषक में विधि प्रभाव में खातेदारी अधिकार निहित हो गए। तत्पश्चात रामकुवांर का स्वर्गवास होने पर जरिये नामा0सं0 201 दिनांक 01.06.1993 को उसकी विरासत रामकिशन पुत्र रामकुवांर के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया।

4- अभि0 अपी0 ने अपनी बहस के आगे कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 (घनश्याम) उक्त विवादित आराजीयात का पीडित पक्षकार नहीं होने से अधी0न्याया0 में अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजीयात बावत अधी0न्याया0 की पत्रावली में सार्वजनिक भूमि होने का कोई साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के खातेदारी अधिकार को अपील में अविधिक रूप से खत्म कर दिया, जिसे वैधानिक नहीं माना जा सकता। अधी0 न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

5- रेस्पो0 सं0 1 के अभि0 ने उक्त बहस के संबंध में अपना कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की थी इसलिए इन तीनों पंचों को केवल देख-रेख के लिए ही नियुक्त किया गया था। उक्त भूमि सार्वजनिक थी जिसमें गंगापुर स्थित सभी व्यक्तियों का अधिकार व हक निहित है। रेस्पो0सं0 1 गंगापुर का निवासी है इसलिए यदि सार्वजनिक उपयोग की

Scanned by CamScanner

भूमि पर कोई अधिकार जताता है तो हर व्यक्ति जो गंगापुर निवासी है, वह अपील करने का अधिकार रखता है। अपीलांटस ने यह बिन्दु प्रथम अपील में उठाया था, जिसे अधी0न्याया0 ने निरस्त कर दिया। सार्वजनिक उपयोग की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए जो नामा0सं0 201 दिनांक 01.06.1993 स्वीकृत हुआ है, वह प्रारम्भ से ही शून्य है। शून्य आदेश को निरस्त कराने के लिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब बाध्य नहीं है और ऐसे मामलों में प्रकरण को गुणावगुण पर ही सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये। अपनी बहस में उन्होनें आगे कथन किया कि विवादित आराजीयात बाबत पूर्व में भी एक अन्य पंच भवानीराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 439 दिनांक 24.08.71 को खोला गया था। उक्त नामा0 बाबत तहसीलदार, सहाडा ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि चूंकि यह भी सार्वजनिक उपयोग पंचान की है। यदि भवानीराम का स्वर्गवास हो गया है तो उनके उत्तराधिकारी अन्य व्यक्ति महाजन समा का ही हो सकता है। इसमें विरासत का कानून लागू नहीं होता है। तहसीलदार, सहाडा ने भवानीराम का नाम खारिज करने के आदेश दिये। यह आदेश आज दिवस भी कायम है, इसकी अपील भी किसी न्यायालय में नहीं हुई है। अपीलांटस ने इन तथ्यों को छुपाकर विरासत का नामा0 स्वीकार कराया है, जो प्रारम्भ से शून्य है। अधी0न्याया (अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा) के निर्णय दिनांक 29.08.2019 बाबत अपीलांटस ने रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। जो प्रकरण सं0 31/2019 दर्ज होकर रेस्पो0सं0 1 को नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 में विचाराधीन है। जिसकी प्रति फर्द दस्तोवज के साथ पेश की है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक हित की होने से विरासत का कानून लागू नहीं होता है। अपने कथन के समर्थन में AIR (2004) 8 SC न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। अतः अपीलांट अपील निरस्त फरमाई जावें।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गंगापुर के नामा0 सं0 201 में खाता सं0 373 व 374 में रामकुंवार पिता बलदेव महाजन सा0देह खातेदार से विरासत से रामकुंवार के बजाय रामकिशन पिता रामकुंवार महाजन के नाम ग्राम विकास शिविर कैम्प गंगापुर में दिनांक 01.06.1993 को तहसीलदार, सहाडा ने स्वीकृत किया जबकि उक्त भूमि पंचान बहादरगंज एवं मुकनगंज बतौर मुखिया मोहनलाल, रामकुंवार पुत्र बलदेव, भवानीराम पुत्र रामरतन महाजन के नाम दर्ज थी। मोहनलाल पुत्र बलदेव की मृत्यु होने पर उक्त मुखिया की जगह से राजस्व रेकार्ड में नाम विलोपित होकर एवं भवानीराम के फौत होने पर नामा0सं0 439 दिनांक 24.08.1971 को भवानीराम का नाम खारिज किया गया है। नामा0सं0 201 में रामकुंवार पिता बलदेव महाजन खातेदार की विरासत में रामकुंवार का नाम खारिज करके विरावत में रामकिशन पिता रामकुंवार दर्ज करने के आदेश दिये जबकि नामा0सं0 439 दिनांक 24.08.1971 अनुसार तहसीलदार, सहाडा को कार्यवाही करनी चाहिये थी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार विवादित आराजीयात का नामा0सं0 201 से संबंधित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की प्रतीत होने से अधी0न्याया0 (अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा) द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.08.2019 द्वारा नामा0सं0 201 दिनांक 01.06.1993 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, सहाडा को उक्त भूमि बिलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर, भूमि सरकार के नाम दर्ज के आदेश दिये है। इस आदेश के विरूद्ध अधी0न्याया0 में रेस्पोडेंटस का रिव्यू प्रार्थना पत्र 31/2019 लम्बित है। अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपनी अपील के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है ।

7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 29.08.2019 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

8- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 35/2019 (2019/00035) वउनवानी श्रीमती कुशलदेवी व अन्य बनाम घनश्याम व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 61/2018 वउनवान घनश्याम बनाम श्रीमती कुशलदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

9- आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.13 20:26:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: